2015/00034

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 47/2015 (डूंगरपुर डिक्री)

1. फतेहलाल पिता मूलचन्द मेवाडा कुम्हार, निवासी डूंगरपुर हाल मुरला गणेश, भाण्डरिया रोड़, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. गम्भीरचन्द पिता मूलचन्द मेवाडा कुम्हार, निवासी डूंगरपुर हाल मुरला गणेश, भाण्डरिया रोड़, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. रूपलाल पिता मूलचन्द मेवाडा कुम्हार, निवासी डूंगरपुर हाल मुरला गणेश, भाण्डरिया रोड़, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)
2. चन्द्रवीरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत, निवासी भाण्डरिया मुरला गणेश, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर दिनांक 29.05.2015 प्र.सं. 132/2008

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री प्रेमपुरी गोस्वामी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री चन्द्रवीर सिंह स्वयं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

---::---

निर्णय दिनांक 11–01–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता स्वर्गीय मूलचन्द कुम्हार ने लक्ष्मणसिंह पिता रामसिंह से चक डूंगरपुर की 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19–01–1968 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, जिसका रियासती सेटलमेन्ट में खसरा नंबर 1 था, जिसमें से सवा 5 बीघा भूमि खरीदी थी। इस भूमि की संवत् 2040 में सेटलमेन्ट की नपती में नये नंबर 612 रकबा 0.17, 613 रकबा 0.08, 614 रकबा 0.08, 615 रकबा 0.16, 616 रकबा 0.08, 617 रकबा 0.34, 618 रकबा 0.12, 619 रकबा 0.20 बने हैं, जो वादीगण के पिता के खाते दर्ज नहीं कर बिलानाम सरकार दर्ज कर दी, लेकिन वादीगण का इस [illegible] पर कब्जा होने से पेनल्टी वादीगण से ली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:25:05 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधि[illegible]
एवं पदेन राजस्व अपी[illegible]
उदयपुर (राज.)

जाती रही। वादीगण का 41 वर्षो से निरन्तर कब्जा होने से उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अतः वादीगण को विवादित आराजी नंबर 612 से 619 का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण में कुल 4 तनकियां कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29–07–2015 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर इस न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से स्वयं रेस्पोन्डेन्ट चन्द्रवीरसिंह उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभिलेख, साक्ष्य एवं पंजीकृत दस्तावेजी की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है। अपीलान्टगण के पिता द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के पिता से चक डूंगरपुर स्थित रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा दिनांक 19–01–1968 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया, तब ने निर्बाध रूप से वादीगण का अपने पिता के समय से कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के पिता द्वारा जरिये पट्टा विलेख दिनांक 28–07–1964 को 62 बीघा 12 बिस्वा भूमि बिल एवज 2651/– रूपये में विक्रय की गयी थी एवं उस समय अंकित खसरा नंबर 1 में से 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि अपीलान्टगण के पिता को दिनांक 19–01–1968 को बिल एवज 261/– रूपये में विक्रय की गयी, जो पंजीकृत दस्तावेज है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने ओर कोई गौर नहीं किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियों का सही विवेचन नहीं किया गया है, जबकि अपीलान्ट/वादीगण द्वारा तनकियों के समर्थन में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे, जिससे अपीलान्टगण का वाद साबित होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण का वाद खारिज करने में विधिक भूमि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलान्टगण द्वारा चाहा गया [illegible] दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:25:05 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से बहस करते हुए राजकीय पैरोकार ने बताया कि राजस्व रेकार्ड में भूमि बिलानाम सरकार दर्ज है तथा विवादित भूमि नगरीय क्षेत्र में स्थित है, जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने बताया कि रेस्पोन्डेन्ट के पिता द्वारा विवादित आराजियात का कभी भी विक्रय नहीं किया गया। विवादित भूमि पर कब्जा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व उसके भाई का चला आ रहा है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 में विवादित आराजी नंबर 612 रकबा 0.17, 613 रकबा 0.08, 614 रकबा 0.08, 615 रकबा 0.16, 616 रकबा 0.08, 617 रकबा 0.34, 618 रकबा 0.12, 619 रकबा 0.20 बिलानाम सरकार दर्ज है। अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 19–01–1968 को जो दस्तावेज पेश किया गया है, उसमें किसी प्रकार के खसरा नंबर का अंकन नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है अपीलान्ट/वादीगण के पिता द्वारा जो भूमि क्रय की गयी थी, वह विवादित भूमि ही थी तथा कब्जे बाबत् भी उनकी ओर से कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पर उनका कब्जा होना भी साबित नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–07–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 11–01–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:25:05 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

फतहलाल पिता मूलचन्द मेवाडा कुम्हार निवासी डूंगरपुर हाल मुरला गणेश, भाण्डारिया रोड़, डूंगरपुर व अन्य — बनाम — राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी डूंगरपुर व अन्य

अपील नं.....47/2015.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....डूंगरपुर..... मुकाम.....मुवर्खे.....29.....माह.....07.....2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....11...माह.....01.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान व हाजरी.....श्री प्रेमपुरी गोस्वामी.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री चन्द्रवीरसिंह

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–07–2015 यथावत रखी जाती है।.

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....11.....माह.....01.....2024 को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:25:05 IST
Reason: SelfAttested